

है। प्रतिनाथमल न केहा कि परियोजना के निर्माण के दौरान कई लोगों के मकानों में दरारें आ गई थी। नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को इसका मुआवजा

सह सचिव केशव राम, सलाहकार हीरा सिंह, चेत राम, यशपाल, ठाकुर दत्त, भूप सिंह, डाबे राम, राजेंद्र कुमार, दुर्गादत्त और निमत राम आदि मौजूद रहे।

को गुहार लगाई है। उपायुक्त को भेजे एक मांगपत्र में हाथीथान निवासी परमानंद, डोलमा, टशी बौद्ध, बिमला, कालीदास, सचिन, शुभम, श्रीपाल शर्मा, पुष्पा

यूको बैंक



UCO BANK

आंचलिक कार्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

बिक्री कम नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना की अनुवर्ती में यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अधोनिर्दिष्ट ऋणकर्ताओं/गारंटर्स की संपत्तियों को बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु 'जैसे है जहां है एव जैसे है जो है के आधार पर' बेच दिया जाए।

खाता/शाखा का नाम	ऋणकर्ता/गारंटर्स का नाम (संपत्ति का स्वामी)	चल/अचल संपत्तियों का विवरण	वसूली जाने वाली राशि (रु.)
			आरक्षित कीमत (रु.)
शाखा रैसन 01902-245129 मनोरमा देवी पत्नी श्री स्व. चेत राम	मनोरमा देवी पत्नी स्व. श्री चेत राम मकान नं. 107 वार्ड-नं. 10, निकट बीएसएनएल टावर बाला बेहर ढालपुर कुल्लू तह. एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) गारंटर्स:- श्री दीप चन्दर सुपुत्र स्व. श्री चेत राम मकान नं. 107 वार्ड नं. 10, निकट बीएसएनएल टावर बाला बेहर ढालपुर कुल्लू तह. एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.)	वर्ष 2006-07 हेतु जमाबंदी में दर्ज मूहल फट्टी ढालपुर तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) पर स्थित 3/23 हिस्से अर्थात 0-03-00 बीघा के विस्तार तक खाता खतौनी सं. 830 मिन/1001 मिन, खसरा सं. 240 किता 3 माप 1-03-00 बीघा के तहत सम्मिलित जमीन। जमीन, मनोरमा देवी पत्नी स्व. श्री चेत राम मकान नं. 107, वार्ड सं. 10, निकट बीएसएनएल टावर बाला बेहर, ढालपुर कुल्लू एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) के नाम में है।	केवल 3099496/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क
			2700000/-रु.
			270000/-रु.
			कब्जे की तिथि
			24.03.2017
शाखा रैसन 01902-245129 श्रीमती तेजी देवी पत्नी श्री ईश्वर चंद	श्रीमती तेजी देवी पत्नी श्री ईश्वर चंद म.न. 167, बार्ड सं. 3, गांव लोरान, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) गारंटर्स:- श्री मोहर सिंह सुपुत्र नंद राम गांव जयसू, पी.ओ. दियार, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.)	श्रीमती तेजी देवी पत्नी श्री ईश्वर चंद, गांव लोरान, पी.ओ. ढालपुर, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) के नाम में जमाबंदी 2006-2007 अनुसार फट्टी ढालपुर, कोठी महाराजा, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) पर स्थित 1/3 हिस्से अर्थात 0-01-0 बीघा के विस्तार तक खाता/खतौनी सं. 1437 मिन/ 1905 मिन, खसरा सं. 3016/709 के तहत सम्मिलित कुल भूमि माप 0-01-0 बीघा माप 0-3-0 बीघा।	केवल 1572933/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क
			650000/-रु.
			65000/-रु.
			कब्जे की तिथि
			24.03.2017

नीलामी के नियम एवं शर्तें:- 1. पूर्व कथित सम्पत्तियों की बिक्री उपरोक्त निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। अपेक्षित खरीददाताओं/बोलीदाताओं को 28 जून 2017 को धर्मशाला में देय यूको बैंक के पक्ष में पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त वर्णित जमा आरक्षित कीमत की 10% की दर से धरोहर राशि जमा करवानी होगी। यह निविदाएं 29 जून 2017 को दोप. 12.00 बजे खोली जाएंगी। 2. सफल बोलीदाता को 24 घंटों के अन्दर यूको बैंक धर्मशाला के पक्ष में पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा धरोहर राशि सहित बोली राशि का 25% जमा कराना होगा, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 3. शेष 75% राशि का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन या उससे पहले खरीददाता द्वारा किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा न कराने की स्थिति में, जमा करवाई गई राशि जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम पेशकश को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या रद्द करने का अधिकार रखता है। 5. सफल खरीददाता को नियम के अनुसार लागू कन्वेन्स डीड जैसे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस आदि प्रभार/शुल्क वहन करना होगा। 6. ईच्छुक पार्टी, जो प्लॉट का निरीक्षण करना चाहती है, वह 28 जून, 2017 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर शाखा प्रबंधक, को संपर्क कर सकती है। 7. यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पुष्टिकरण के अधीन है। 8. अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं है। 9. यह प्रकाशन उपरोक्त सभी ऋणकर्ताओं/गारंटर्स हेतु सूचना भी है।

तिथि: 26.05.2017
स्थान: धर्मशाला

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, धर्मशाला